

संस्कृत-लघु-श्री-पूर्व-अक्षरों-के-बिना  
उप-द्वारा-पेने-प्राप्त-के-लिए-अनुमति-  
अनुमति-पत्र-क्र. 108-भोपाल/06-08.  
वि.पु.सु. भोपाल-02-36.



पंजी. क्रमिक भोपाल डिप्टीवन  
न. प्र. 108-भोपाल/06-08.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 333]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 जून 2006—आषाढ़ 9, शक 1928

#### ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 30 जून 2006

क्र. 4052-एफ-11-310-उह-2004.—इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 (2003 का 36) की धारा 126 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 180 के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् (अंतिम निर्धारण आदेशों की तामील) नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 3 के उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—  
“(4) ऐसा व्यक्ति, जिस पर अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की जा चुकी है, अंतिम निर्धारण के विरुद्ध आपत्तियाँ, यदि कोई हों, निर्धारण अधिकारी के समक्ष फाइल करने का हकदार होगा, जो ऐसे व्यक्ति की सुनवाई का सुचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति द्वारा दिये विद्युत् प्रभारों के निर्धारण का अंतिम आदेश पारित कर सकेगा.”
- प्रथम में, शीर्षक “अंतिम निर्धारण का आदेश” के अधीन अनुक्रमांक 9 के पश्चात्, अंतिम पैरा का लोप किया जाए.

Bhopal, the 30th June 2006

No. 4052-F-11-310-XIII-2004.—In exercise of the powers conferred by clause (k) of Section 180 read with sub-section (2) of Section 126 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Electricity (Service of Provisional Assessment Order) Rules, 2004, namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules,—

- for sub-rule (4) of rule 3, the following sub-rule shall be substituted, namely :—  
“(4) The person on whom a notice has been served under sub-section (2) of Section 126 of the Act shall be entitled to file objections, if any, against the provisional assessment before the assessing officer who may, after giving a reasonable opportunity of being heard to such person, pass a final order of assessment of the electricity charges payable by such person.”
- In the Form, under the heading “Order of Provisional Assessment”, after Serial Number 9, the last para shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

665

आर. बी. अग्रवाल, अपर सचिव.